ए.

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर

वी.

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। (2020 की सिविल अपील संख्या 3695)

बी.

1 दिसंबर, 2020

[एल**.** नागेश्वर राव**,** हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

डिजाइन अधिनियम, 2000-एस. एस.19 और 22-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 -धारा 3-वादी/प्रत्यर्थी ने घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया ताकि अपीलार्थीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने, उपयोग करने या दूसरों को पंजीकृत पात्र और ढक्कन के वादी के डिजाइन का उपयोग करने में सक्षम बनाने से रोका जा सके-प्रतिवादी/अपीलार्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष जवाबी दावे के साथ लिखित बयान दायर किया, अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकृत डिजाइन को रद्द करने की मांग की क्योंकि इसे धाराओं के संदर्भ में पंजीकृत नहीं किया जा सकता था।4(क) 2000 के अधिनियम-अपीलार्थी ने यू/एस के तहत एक आवेदन भी दायर किया।22(4) आर/डब्ल्यू। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 19 (2) वाद को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को हस्तांतरित करने के लिए-जिला न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और वाद को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया-उक्त आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी-उच्च न्यायालय ने गोदरेज सारा ली लिमिटेड मामले पर भरोसा किया और कहा कि डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक आवेदन विशेष रूप से नियंत्रक के पास होगा, जिसके बिना उच्च न्यायालय को इस तरह के मामले पर विचार करने के लिए एक समानांतर अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि नियंत्रक के आदेश से अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होती है-अपील पर, कहा गया:गोदरेज सारा ली लिमिटेड में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई भी आवेदन यू/एस।19 केवल नियंत्रक के समक्ष दायर किया जा सकता है और उच्च न्यायालय में नहीं-इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय केवल अपील में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का हकदार होगा-यह उल्लंघन के लिए मुकदमे का मामला नहीं

था जिसमें प्रतिवादी ने पंजीकरण को रद्द करने की याचिका दायर की है जिसे एस के संदर्भ में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।22(4) 2000 के अधिनियम के अनुसार-उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया गया था-जिला स्तर के वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार है-हालांकि, इस तरह के मुकदमे को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का विचार सही नहीं है-उच्च न्यायालय जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1104 ए.

1105

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड।

मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है-चूंकि, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए मुकदमा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है-उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है-कानून के अनुसार मुकदमे का फैसला करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को भेजा गया मामला।

बी.

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** गोदरेज सारा ली में निर्णय पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक, कोलकाता द्वारा डिजाइन अधिनियम, **2000** की धारा **19 (1)** के तहत पारित एक आदेश से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रत्यर्थी से संबंधित पंजीकृत डिजाइनों को रद्द कर दिया जाता है।जिस प्रश्न की जांच की गई वह यह था कि क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के पास नियंत्रक के आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।प्रत्यर्थी ने पंजीकृत डिजाइनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा भी

दायर किया था और इस प्रकार डिजाइनों को रद्द करने की मांग की थी।बाद में, डिजाइन नियंत्रक ने प्रत्यर्थी से संबंधित तीन डिजाइनों को रद्द कर दिया।रद्द करने के इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।इन परिस्थितियों में, जिस प्रश्न की जांच की गई थी, वह **2000** के अधिनियम की धारा **19 (2)** और **22 (4)** और भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, **1911** की धारा **51** ए में उपयोग की गई उच्च न्यायालय अभिव्यक्ति की व्याख्या के संबंध में था।**[**पैरा **12] [1113-**एच**; 1114-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

2. यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा **19** के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई भी आवेदन केवल नियंत्रक के समक्ष दायर किया जा सकता है न कि उच्च न्यायालय में। इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय केवल अपील में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का हकदार होगा।यह उल्लंघन के लिए मुकदमे का मामला नहीं था जिसमें प्रतिवादी ने पंजीकरण को रद्द करने की याचिका दायर की है जिसे **2000** अधिनियम की धारा **22 (4)** के संदर्भ में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया गया है, यह मानते हुए कि कार्यवाही नियंत्रक के समक्ष है और वादी/प्रतिवादी ने उल्लंघन के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसमें पंजीकरण को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी जिसे **2000** अधिनियम की धारा **22 (4)** के संदर्भ में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। **[**पैरा **13] [1114-**सी**-**ई**]**

एफ.

जी.

एच.

ए.

3. इसके अलावा, **2000** के अधिनियम में, पंजीकरण को रद्द करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं।उनमें से एक नियंत्रक के समक्ष है, जिसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी।दूसरा, पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर दीवानी अदालत के समक्ष कार्यवाही में उल्लंघन के मुकदमे में, प्रतिवादी को पंजीकरण रद्द करने की मांग करने का अधिकार दिया गया है।उस स्थिति में, मुकदमा **2000** अधिनियम की धारा **22** की उप**-**धारा **(4)** के संदर्भ में उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया जाना है। दोनों स्वतंत्र प्रावधान हैं जो कार्रवाई के अलग**-**अलग और विशिष्ट कारणों को जन्म देते हैं।**[**पैरा **14] [1114-**एफ**-**जी**]**

बी.

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार है।हालाँकि**,** यह न्यायालय इस तरह के मुकदमे को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय से सहमत नहीं है।उच्च न्यायालय**,** जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है**,** के पास गोदरेज सारा ली के संदर्भ में मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। चूंकि कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया है**,** इसलिए मुकदमा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय**,** इंदौर पीठ को स्थानांतरित किया जा सकता है।वास्तव में**,** वादी ने केवल मध्य प्रदेश के इंदौर में मुकदमा दायर किया है।**[**पैरा **20] [1117-**ई**-**एफ**]**

सी.

डी.

गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनामरेकिट बेंकिजर ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई।

लिमिटेड और दूसरा (2010) 2 एस. सी. सी. 535:[2010]

ई.

2 एस**.** सी**.** आर**. 147;** आर**.** एन**.** गुप्ता एंड कंपनी लिमिटेड जसोला नई दिल्ली बनाम मेसर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड दुधोहला

और 3 अन्य (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 975-संदर्भित।

मेसर्स एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड बनाम मेसर्स आशीर्वाद पाइप्स

एफ.

प्राइवेट लिमिटेड आई. एल. आर. 2008 कर 2533; मेसर्स. एस्कॉर्ट्स

निर्माण उपकरण लिमिटेड बनाममेसर्स गौतम इंजीनियरिंग कंपनी और एक अन्य **AIR 2010 J & K 13;** सालुत्री रेमेडीज बनाम यूनिम फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड **(2009)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन गुज **9488;** स्टैंडर्ड ग्लास बीड्स फैक्ट्री और एक अन्य बनाम श्री धर और अन्य। ए**.** आई**.** आर**. 1961** ऑल **101;** व्हर्लपूल ऑफ इंडिया बनाम वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड **(2014)**

जी.

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन बम **565-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर **147**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4** ए

एच.

1107

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 3695।

2020 की विविध याचिका संख्या 2156 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के दिनांकित 01.09.2020 के निर्णय और आदेश से।

बी.

जय साई दीपक, सुश्री रेणुका साहू, अभिजीत देशमुख, तरुण खुराना, सुश्री मीनाक्षी ओगरा, सुश्री सुवांगना अग्रवाल, राहुल गुप्ता, विजय असुदानी, सुश्री प्रगति नीखरा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

सी.

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसमें डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 (4) के तहत मुकदमे को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के एक आदेश को रद्द कर दिया गया है।यह वह आदेश है जिसे उच्च न्यायालय ने 1.9.2020 पर यह निर्देश देते हुए दरकिनार कर दिया था कि वाणिज्यिक न्यायालय, इंदौर स्वयं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 2 के संदर्भ में मुकदमे का फैसला करने में सक्षम है।

डी.

2. वादी/प्रतिवादी ने यहां घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया ताकि अपीलार्थीगण को क्रमशः डिजाइन आवेदन संख्या 299039 और 299041 के तहत पंजीकृत कंटेनर और ढक्कन के वादी के डिजाइन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने, उपयोग करने या दूसरों को सक्षम बनाने से रोका जा सके।

ई.

3. उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी/अपीलार्थी ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष जवाबी दावे के साथ एक लिखित बयान दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त पंजीकृत

अभिकल्पनाओं को इस कारण से रद्द करने की मांग की गई थी कि उक्त अभिकल्पनाएं नई या मूल नहीं थीं और इसलिए 2000 अधिनियम की धारा 4 (ए) के संदर्भ में पंजीकृत नहीं की जा सकती थीं। अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को मुकदमा स्थानांतरित करने के लिए 2000 अधिनियम की धारा 19 (2) के साथ पठित धारा 22 (4) के तहत एक आवेदन भी दायर किया।यह उक्त आवेदन है जिसे विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और इस प्रकार मुकदमे को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एफ.

जी.

4. वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को वादी/प्रतिवादी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।द.

1 संक्षेप में '2000 अधिनियम' 2, संक्षेप में '2015 अधिनियम'

एच.

ए.

उच्च न्यायालय ने इस सवाल की जांच की कि क्या उक्त मुकदमे की कार्यवाही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है या क्या इंदौर का वाणिज्यिक न्यायालय मामले का फैसला करने के लिए सक्षम है।उच्च न्यायालय ने

गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम रेकिट बेंकिजर ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई पर भरोसा किया।

लिमिटेड और अन्य 3 ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधायिका का इरादा था कि डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक आवेदन विशेष रूप से नियंत्रक के पास होगा, जिसके बिना उच्च न्यायालय को इस तरह के मामले पर विचार करने के लिए एक समानांतर अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि नियंत्रक के आदेश से अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होती है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि 2015 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के आधार पर प्रावधानों को छोड़कर एक प्रबल प्रभाव रखता है।

बी.

सी.

5. क़ानूनों के प्रासंगिक प्रावधान, यानी 2000 अधिनियम और 2015 अधिनियम नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"डिजाइन अधिनियम**, 2000**

4. कुछ डिजाइनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध।— एक डिजाइन

जो -

डी.

(a) नया या मूल नहीं है; या (b) XXX

एक्सएक्स

((c) XX

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(घ) एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ई.

पंजीकृत नहीं किया जाएगा।" एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

19. पंजीकरण रद्द करना।— (1) कोई भी व्यक्ति रुचि रखता है

डिजाइन के पंजीकरण के बाद किसी भी समय डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक याचिका नियंत्रक को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात्:—

एफ.

(क) कि डिजाइन पहले भारत में पंजीकृत किया गया है; या (ख) कि यह पंजीकरण की तारीख से पहले भारत में या किसी अन्य देश में प्रकाशित किया गया है; या

जी.

(ग) कि डिजाइन एक नया या मूल डिजाइन नहीं है; या (घ) कि डिजाइन इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है; या

3 (2010) 2 एससीसी 535 ए

एच.

1109

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

(ई) कि यह धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित एक अभिकल्पना नहीं है।(2) इस धारा के तहत नियंत्रक के किसी भी आदेश से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, और नियंत्रक किसी भी समय ऐसी किसी भी याचिका को उच्च न्यायालय को भेज सकता है, और उच्च न्यायालय इस तरह से निर्दिष्ट किसी भी याचिका पर निर्णय लेगा।

बी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

22. पंजीकृत डिजाइन की चोरी।—

(1) एक्सएक्स

XXX

XXX

(2) एक्सएक्स

XXX

XXX

सी.

(3) उप-धारा (2) के तहत राहत के लिए किसी भी मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही में, कोई भी आधार जिस पर धारा 19 के तहत किसी अभिकल्पना का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, बचाव के आधार के रूप में उपलब्ध होगा।

(4) उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 19 के तहत किसी अभिकल्पना के पंजीकरण को रद्द करने का कोई आधार या जिसका उप-धारा (3) के तहत बचाव के आधार के रूप में उप-धारा (2) के तहत राहत के लिए किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही में लाभ उठाया गया है, वहां वाद या ऐसी अन्य कार्यवाहियों को उस न्यायालय द्वारा, जिसमें मुकदमा या ऐसी अन्य कार्यवाही लंबित है, निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाएगा।(5) जब न्यायालय उप-धारा (2) के तहत किसी मुकदमे में डिक्री करता है, तो वह डिक्री की एक प्रति नियंत्रक को भेजेगा, जो डिजाइन के रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि कराएगा।

डी.

ई.

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम**, 2015**

एफ.

3. वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन।— (1) राज्य

सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, जिला स्तर पर ऐसे वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकती है, जो इस अधिनियम के तहत उन न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से आवश्यक समझेः

जी.

बशर्ते कि सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन कर सकती हैः

एच.

बशर्ते कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा आर्थिक मूल्य निर्दिष्ट कर सकती है, जो तीन लाख रुपये से कम और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली आर्थिक अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जो वह आवश्यक समझे।

बी.

[(1 ए) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, ऐसे आर्थिक मूल्य को निर्दिष्ट कर सकती है जो राज्य के पूरे या हिस्से के लिए तीन लाख रुपये से कम या ऐसा उच्च मूल्य नहीं होगा, जो वह आवश्यक समझे।]

सी.

(2) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को निर्दिष्ट करेगी जहां वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होगा और समय-समय पर ऐसी सीमाओं को बढ़ा, घटा या बदल सकती है।

डी.

(3) [राज्य सरकार], उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, वाणिज्यिक विवादों से निपटने का अनुभव रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को [जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय या जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के न्यायालय] का न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।

ई.

3 ए. वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों का पदनाम।— इसके अलावा

जिन क्षेत्रों पर उच्च न्यायालयों की सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत उन न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्यों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर पर ऐसे वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों को नामित कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

एफ.

4. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन।—

(1) सभी उच्च न्यायालयों में, 2 [सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता] वाले, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के तहत उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक पीठों वाले वाणिज्यिक प्रभाग का गठन कर सकता है, जिसमें एक ही न्यायाधीश हो।

जी.

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX ए

एच.

1111

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता।—

सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में दायर किए गए निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगाः

बी.

बशर्ते कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जो किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि वे जिला न्यायालय से कमतर न्यायालय में हैं और जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर या लंबित हैं, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा सुने जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगाः

सी.

बशर्ते कि डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 22 की उप-धारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए गए सभी मुकदमों और आवेदनों की सुनवाई उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में की जाएगी जिन पर उच्च न्यायालय सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता का प्रयोग करता है।

डी.

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

21. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें।— अन्यथा दिए गए अनुसार बचत करें,

इस अधिनियम के प्रावधान तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में इसके साथ असंगत कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

ई.

6. श्री जय साई दीपक, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने संदर्भित किया

मेसर्स एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड बनाम मेसर्स आशीर्वाद पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड **4,** आर**.** एन**.** गुप्ता एंड कंपनी लिमिटेड जसोला नई दिल्ली बनाम मेसर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड दुधोहला और **3** अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों के लिए।**5 ,** मेसर्स एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड बनाममेसर्स गौतम इंजीनियरिंग कंपनी और अन्य **6,** सालुत्री रेमेडीज बनाम यूनिम फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड **7** और स्टैंडर्ड ग्लास बीड्स फैक्ट्री और एक अन्य बनाम श्री धर और अन्य **8** ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि

एफ.

जी.

मुकदमे को वाणिज्यिक न्यायालय (जिला) में स्थानांतरित करने में कानून की गलती

4 आई. एल. आर. 2008 कर 2533

5 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 975 6 एयर 2010 जे. एंड के 13

7 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 9488 8 ए. आई. आर. 1961 सभी 101

एच.

स्तर) उक्त वाद को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए।यह भी तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि चूंकि नियंत्रक द्वारा रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में निहित है, इसलिए स्थानांतरण इस कारण से टिकाऊ नहीं होगा कि अपील अधिकार क्षेत्र 2000 अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक मुकदमे में डिजाइन को रद्द करने की याचिका में मूल अधिकार क्षेत्र से अलग है।

बी.

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री असुदानी ने इस आदेश पर भरोसा किया- गोदरेज सारा ली में अदालत के रूप में

साथ ही व्हर्लपूल ऑफ इंडिया बनाम वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड **9** का समर्थन करने के लिए

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश।8. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है। 2015 का अधिनियम दो स्थितियों से संबंधित है अर्थात् उच्च न्यायालय जिनके पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है और उच्च न्यायालय जिनके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र नहीं है।जिन क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहां 2015 के अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन किया जाना है। राज्य सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की आर्थिक सीमा तय करने का भी अधिकार है।2015 के अधिनियम की धारा 3 (2) के संदर्भ में, इंदौर में जिला न्यायाधीश के न्यायालय को एक वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।“अधिनियम, 2015 की धारा 2 (सी) (xvii) के अर्थ के भीतर वाणिज्यिक विवाद में "पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, डोमेन नाम, भौगोलिक संकेत और अर्धचालक एकीकृत परिपथ से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों" से संबंधित विवाद शामिल हैं।” इसलिए, डिजाइन से संबंधित विवादों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष स्थापित करने की आवश्यकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

9. दूसरी ओर, 2015 के अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि जहां उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है, वहां एक वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया जाना आवश्यक है।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में, एक वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का गठन किया जाना आवश्यक है।अधिनियम की धारा 7 सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में दायर एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मुकदमों और आवेदनों से संबंधित है, जबकि दूसरे परंतुक में विचार किया गया है कि सभी मुकदमों और आवेदनों को उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाए।

जी.

9 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 565 ए

एच.

1113

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

2000 अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के आधार पर न्यायालय की सुनवाई और निपटान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में किया जाएगा जिन पर उच्च न्यायालय सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता का प्रयोग करता है।

10. इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों में, अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के आधार पर उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए गए मुकदमों को प्रत्येक उच्च न्यायालय को लागू होने वाले नियमों के संदर्भ में उच्च न्यायालय की पीठ के बजाय उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है।इस प्रकार, 2000 के अधिनियम के तहत डिजाइन से संबंधित वाद को सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रभाग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी वाणिज्यिक विवादों से निपटने वाली एक पीठ से दूसरे विशेष न्यायालय में।

बी.

सी.

11. यह उल्लेख करना उचित है कि 2015 के अधिनियम की धारा 7 केवल उस स्थिति से संबंधित है जहां उच्च न्यायालयों के पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र है।2015 के अधिनियम में 2000 के अधिनियम के तहत उन उच्च न्यायालयों को कार्यवाही के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने या अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है जिनके पास सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसके अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 21 केवल तभी एक प्रबल प्रभाव देती है, जब अधिनियम के प्रावधानों में उस समय लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन के साथ कुछ भी असंगत हो। चूंकि 2015 के अधिनियम में 2000 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने या अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 2015 के अधिनियम की धारा 21 को 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं कहा जा सकता है। यह केवल किसी भी अन्य कानून के असंगत प्रावधान हैं जो 2015 के अधिनियम के प्रावधानों को रास्ता देंगे। 2000 के अधिनियम की धारा 22 (4) के संदर्भ में, प्रतिवादी को उस डिजाइन को रद्द करने की मांग करने का अधिकार है जो आवश्यक रूप से अदालतों को मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य करता है।यदि पंजीकरण रद्द करने की प्रार्थना की जाती है तो मुकदमे का हस्तांतरण एक मंत्रिस्तरीय कार्य है।वास्तव में, एक पीठ से वाणिज्यिक प्रभाग को कार्यवाही का हस्तांतरण अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क का समर्थन करता है कि यदि किसी मुकदमे को सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग को स्थानांतरित किया जाना है, तो सिविल सूट जिसमें पंजीकृत डिजाइन को रद्द करने की याचिका है, उसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना होगा जहां कोई सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. गोदरेज सारा ली में फैसला पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक, कोलकाता द्वारा धारा के तहत पारित एक आदेश से उत्पन्न होता है।

एच.

19(1) 2000 के अधिनियम में प्रत्यर्थी से संबंधित पंजीकृत अभिकल्पनाओं को रद्द करना। जिस प्रश्न की जांच की गई वह यह था कि क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के पास नियंत्रक के आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।प्रत्यर्थी ने पंजीकृत डिजाइनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था और इस प्रकार डिजाइनों को रद्द करने की मांग की थी।बाद में, डिजाइन नियंत्रक ने प्रत्यर्थी से संबंधित तीन डिजाइनों को रद्द कर दिया।रद्द करने के इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।इन परिस्थितियों में, जिस प्रश्न की जांच की गई थी, वह 2000 के अधिनियम की धारा 19 (2) और 22 (4) और भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 की धारा 51 ए में उपयोग की गई उच्च न्यायालय अभिव्यक्ति की व्याख्या के संबंध में था। 13.यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 19 के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई भी आवेदन केवल नियंत्रक के समक्ष दायर किया जा सकता है न कि उच्च न्यायालय में।इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय केवल अपील में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने का हकदार होगा।यह उल्लंघन के लिए मुकदमे का मामला नहीं था जिसमें प्रतिवादी ने पंजीकरण को रद्द करने की याचिका दायर की है जिसे 2000 अधिनियम की धारा 22 (4) के संदर्भ में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा किया गया है, यह मानते हुए कि कार्यवाही नियंत्रक के समक्ष है और वादी/प्रतिवादी ने उल्लंघन के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसमें पंजीकरण को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी जिसे 2000 अधिनियम की धारा 22 (4) के संदर्भ में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

14. इसके अलावा, 2000 के अधिनियम में, पंजीकरण को रद्द करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं।उनमें से एक नियंत्रक के समक्ष है, जिसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष होगी।दूसरा, पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर दीवानी अदालत के समक्ष कार्यवाही में उल्लंघन के मुकदमे में, प्रतिवादी को पंजीकरण रद्द करने की मांग करने का अधिकार दिया गया है।उस स्थिति में, मुकदमा 2000 अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के संदर्भ में उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया जाना है। दोनों स्वतंत्र प्रावधान हैं जो कार्रवाई के अलग-अलग और विशिष्ट कारणों को जन्म देते हैं।

एफ.

जी.

15. मानक ग्लास बीड्स में, 1911 अधिनियम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष परीक्षण के अधीन था।इसकी धारा 29 एक पेटेंटी द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है जिसमें प्रतिवादी एक जवाबी दावे में पेटेंट को रद्द करने की याचिका दायर कर सकता है।अधिनियम की धारा 29 को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

एच.

10 संक्षेप में '1911 अधिनियम' ए

1115

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

“10. हमारे निर्णय में "स्थानांतरित किया जाएगा" अभिव्यक्ति का अर्थ है "स्थानांतरित किया जाएगा"; और जिला न्यायाधीश के पास ऐसा आदेश देने के अलावा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बचा है जो मामले के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय में भौतिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है।यदि इन शब्दों को यह अर्थ नहीं दिया जाता है, तो उस समय के संबंध में अनिश्चितता का एक तत्व होगा जब मामले का रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को भेजा जाना है और उस अवधि के दौरान जिला न्यायालय की शक्तियों को रिकॉर्ड वास्तव में स्थानांतरित होने से पहले समाप्त होने की अनुमति है।”

बी.

16. उक्त विचार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य एकल पीठ ने 2000 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद आर. एन. गुप्ता के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में दोहराया था। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

“35. इसके अलावा, एक अन्य कोण से देखते हुए, यदि जिला न्यायालय को धारा 19 के तहत प्रतिवादी द्वारा लिए गए आधार के समर्थन में रिकॉर्ड पर दायर सामग्री पर कोई संतुष्टि दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि जिला न्यायालय धारा 19 के तहत उसे प्रदान किए गए डिजाइन नियंत्रक या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यदि पंजीकरण को रद्द करने के लिए ऐसी कोई कार्यवाही डिजाइन नियंत्रक द्वारा आगे बढ़ाई जाती है या उच्च न्यायालय को भेजी जाती है। मेरे विचार से, जिला न्यायालय केवल इस हद तक संतुष्ट हो सकता है कि धारा 19 के तहत जिस आधार पर अभिकल्पना का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, उसका बचाव के आधार के रूप में लाभ उठाया गया है या नहीं।यह प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार लिए गए बचाव के गुण-दोष में नहीं जा सकता है क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होगा, जिसे केवल उच्च न्यायालय द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर ही देखा जा सकता है कि क्या अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रतिवादी द्वारा लिए गए ऐसे बचाव में कोई बल है या नहीं।

डी.

ई.

एफ.

36. मामले को ध्यान में रखते हुए, एक बार अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन में दायर जवाब को नंगे पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि धारा 19 के तहत बचाव या आधार का लाभ उठाया जाता है, जिला अदालत द्वारा आगे कुछ नहीं देखा जाना है और उसके पास अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन सहित निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

जी.

17. मैसर्स एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा इसी तरह का विचार लिया गया था, जिसमें न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया थाः

एच.

“15. मामले के उस दृष्टिकोण में, विचाराधीन मुकदमे को इस अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार करने वाले विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जब स्वीकार किया जाता है कि दूसरे प्रतिवादी ने धारा के तहत बचाव किया है। अधिनियम की धारा 19 में यह तर्क दिया गया है कि वादी के पक्ष में जो अभिकल्पना दर्ज की गई है, वह बिल्कुल भी पंजीकृत नहीं थी, गलत है और उसे रद्द किया जा सकता है।

बी.

18. जम्मू-कश्मीर का भी यही फैसला है

उच्च न्यायालय ने मेसर्स एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रूप में रिपोर्ट किया, जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक बार पंजीकरण को निरस्त करने के लिए बचाव किया जाता है, तो 2000 अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के संदर्भ में, सिविल न्यायालय के पास अभिकल्पना को रद्द करने का निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है और यह केवल उच्च न्यायालय है जिसे इस मामले पर निर्णय लेना है और यह तय करना है कि अभिकल्पना को रद्द किया जाना है या नहीं।यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं करने में कानूनी त्रुटि की।

सी.

19. भारत के वर्लपूल में बॉम्बे उच्च न्यायालय प्रतिवादी के खिलाफ पंजीकृत अभिकल्पनाओं के उल्लंघन; पारित करना; और हर्जाने के लिए एक मुकदमे पर विचार कर रहा था।प्रतिवादी ने कभी भी वादी को दिए गए पंजीकरण को रद्द करने की मांग नहीं की, लेकिन उसे दिए गए पंजीकरण पर भरोसा किया।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

ई.

“19. अपने इस तर्क के समर्थन में कि प्रतिवादी के पंजीकृत अभिकल्पना को केवल नियंत्रक के समक्ष अधिनियम की धारा 19 के तहत कार्यवाही द्वारा चुनौती दी जा सकती है, प्रतिवादी तर्क देगा कि पंजीकृत अभिकल्पना को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत एक उपाय की उपलब्धता अधिनियम की धारा 22 के तहत उपचार के निषेध और बहिष्कार के बराबर है। यह साफ तौर पर गलत है।अधिनियम की धारा 19 और धारा 22 अलग-अलग परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं।अधिनियम की धारा 19 का

उपयोग किसी डिजाइन के पंजीकरण को रद्द करने के लिए किया जाता है।अधिनियम की धारा 22 को लागू किया जाता है जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा मालिक के पंजीकृत डिजाइन का उल्लंघन किया जाता है और पंजीकृत मालिक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ नुकसान, निषेधाज्ञा आदि के रूप में राहत मांगता है।डिजाइन के पंजीकृत मालिक के खिलाफ भी उसके पंजीकरण पर सवाल उठाकर इस तरह की राहत मांगी जा सकती है।प्रतिवादी भी प्रस्तुत कर सकता है कि वादी अधिनियम की धारा 19 के तहत उपलब्ध आधारों पर वादी के पंजीकरण पर सवाल उठाकर नुकसान, निषेधाज्ञा आदि के संदर्भ में किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

1117

एस. डी. कंटैनर्स इंदौर बनाम

मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।]

एक पंजीकरण।फिर से, धारा 19 एक पक्ष को एक डिजाइन को रद्द करने के लिए नियंत्रक को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, भले ही पंजीकृत मालिक डिजाइन का उपयोग नहीं कर रहा हो।इसलिए धारा 19 कार्रवाई का एक कारण प्रदान करती है जहां केवल पंजीकरण को आपत्तिजनक माना जाता है और पंजीकरण का मात्र तथ्य कार्रवाई का कारण प्रदान करता है।स्पष्ट रूप से इसके विपरीत, अधिनियम की धारा 22 केवल उस स्थिति में कार्रवाई का कारण प्रदान करती है जहां बिक्री के उद्देश्यों के लिए या ऐसी बिक्री के संबंध में या उसके संबंध में किसी वस्तु पर एक पंजीकृत डिजाइन लागू किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है।नतीजतन, यदि कोई पंजीकृत मालिक बिक्री के लिए या ऐसी बिक्री के संबंध में किसी वस्तु पर अपने डिजाइन को लागू नहीं करता है, तो कोई अन्य पंजीकृत मालिक अधिनियम की धारा 22 का सहारा नहीं ले सकता है। अधिनियम की धारा 22 के तहत उपचार केवल वहीं उपलब्ध है जहां विवादित डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 19 और 22 के बीच एक और अंतर, जैसा कि वादी की ओर से सही ढंग से बताया गया है, यह है कि जहां धारा 19 'किसी भी इच्छुक व्यक्ति' पर लागू होती है, वहीं धारा 22 केवल ऐसे व्यक्ति के एक छोटे से वर्ग यानी पंजीकृत मालिकों के लिए उपलब्ध है।इसलिए धारा 19 के तहत उपचार और धारा 22 के तहत उपचार बहुत अलग हैं।वे अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग व्यक्तियों पर और अलग-अलग राहतों के लिए लागू होते हैं।”

बी.

सी.

डी.

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश कानून के अनुसार है।हालाँकि, हम इस तरह के मुकदमे को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय से सहमत नहीं हैं।उच्च न्यायालय, जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, के पास गोदरेज सारा ली के संदर्भ में मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। चूंकि कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया है, इसलिए मुकदमा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को स्थानांतरित किया जा सकता है।वास्तव में, वादी ने केवल मध्य प्रदेश के इंदौर में मुकदमा दायर किया है।

ई.

एफ.

21. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश टिकाऊ नहीं है।उसी को दरकिनार कर दिया जाता है और मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ को भेज दिया जाता है, जो कानून के अनुसार मुकदमे का फैसला करेगा।

जी.

अंकित ज्ञान

मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

एच.